आदेश

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निमार्ण विभाग,रानीखेत के पत्र संख्या-1271/03 सी०, दिनांक 13-07-2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि क्वारब बाईपास मार्ग में अतिवृष्टि के कारण कतिपय स्थानों में लैण्ड स्लाईड होने के फलस्वरूप मार्ग को बन्द किए जाने हेतु एवं बाईपास मार्ग को सुचारू किए जाने तक 4 दिन की समयावधि लगने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। वर्तमान में रा०मा० संख्या 109 के किमी 56 लैण्डस्लाईड जोन पर मोटर मार्ग की चौड़ाई लगभग 7 मी० प्राप्त हो चुकी है एवं मोटर मार्ग के हिल साईड में स्लाईडिंग जोन के स्केलिंग एवं ट्रीटमेंट का कार्य गतिमान है।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा के पत्र संख्या- कैम्प /क्वारब/ दिनांक 13-07-2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 11.07.2026 एवं 12.07.2026 को दो स्थानों में भूस्खलन होने के कारण मार्ग वाहनों के आवागमन हेतु असुरक्षित हो गया है। जिस कारण से मार्ग को सुचारू किए जाने एवं मलबे को हटाए जाने के दृष्टिगत मार्ग को 04 दिन तक पूर्णतः बन्द किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः चौसली क्वारब वैकल्पिक मार्ग में हो रहे भू-स्खलन से यात्रियों के **सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय IV की धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग** करते हुये **दिनांक 15 जुलाई से 18 जुलाई, 2026 तक उक्त मार्ग हल्के/भारी वाहनों एवं सभी प्रकार के वाहनों के संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है और अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुला रहेगा।**

क्र.सं.	विवरण	वैकल्पिक मार्ग भारी वाहनों हेतु
1	**अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109**	दिनांक 15.07.2026 से दिनांक 18.07.2026 तक हल्के वाहनों एवं यात्री बसों के साथ-साथ सभी प्रकार के वाहनो के लिए खुला रहेगा ।
2	**चौसली क्वारब वैकल्पिक मोटर मार्ग**	दिनांक 15.0702026 से दिनांक 18.07.2026 तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूर्णतः आवागमन हेतु प्रतिबन्धित रहेगा।

1. उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। आदेशों की अवलेहना को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा प्रतिबन्धित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु सम्बन्धित चौकी/थाना प्रभारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।
2. एम्बुलेंस एवं अन्य आवश्यकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य वाहन के प्रतिबन्धित अवधि में यातायात की अपरिहार्यता हो तो क्षेत्र के सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अंशुल सिह)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,अल्मोड़ा।

कार्यालय जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अल्मोड़ा।

संख्याः- 3005/आ०प्रब०प्राधि०/या० संचालन /2026-27 दिनांक 14 जुलाई, 2026

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त कुमाऊ मण्डल, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त मार्ग में प्रतिबन्धित अवधि के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिको की सूची नाम/पदनाम/मो०न० सहित जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, अल्मोड़ा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगें।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

6. उप जिला अधिकारी सदर, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उप जिलाअधिकारी, कैंची धाम जिला नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. पुलिस उपाधीक्षक, अल्मोड़ा एव सम्बन्धित क्षेत्र के थाना/चौकी प्रभारी को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,अल्मोड़ा को आवश्यक कारवाही हेतु प्रेषित।
10. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग रानीखेत को निर्देशित किया जाता है कि अल्मोड़ा–क्वारब (मार्ग सं0 109) में चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाये जाय जिस में उक्त क्षेत्र/कार्यस्थल से सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का नाम मय मो0न0/आपातकालीन नम्बर अंकित होंगे तथा रिफलेक्टिव टेप, मार्ग परिवर्तन सूचना पट्ट तथा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे तथा इसकी सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र अल्मोड़ा को उपलब्ध करायी जायेगी।
11. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा को निर्देशित किया जाता है कि क्वारब बाईपास मार्ग में मार्ग परिवर्तन सूचना पट्ट तथा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे।
12. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा को आवश्यक कारवाही हेतु प्रेषित।
13. जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा, को जनहित में प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

(अंशुल सिह)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner